जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

Ref. No: BRLPS/Estt/1454/17/3598 Dated: 02.12.2019

कार्यालय आदेश

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-3/सी०एस०/एम०-29/2019-1619 दिनांक-28.11.2019 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के जिलावार "जल जीवन हरियाली यात्रा" कार्यक्रम के प्रथम चरण की सूचना दी गयी है।

(क) इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री दिनांक 03.12.2019 को अपराह्न 12:15 बजे पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा-2 प्रखण्ड के चम्पापुर गनौली में योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाट्न तथा जल-जीवन-हरियाली जागरूकता सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे।

(ख) दिनांक 04.12.2019 को अपराह्न 12:15 बजे पूर्वी चम्पारण जिला में अनुमण्डल मुख्यालय परिसर, अरेराज में आई०टी० सेन्टर भवन के उद्घाटन और बुनियाद केन्द्र के भ्रमण के अतिरिक्त जल-जीवन-हरियाली जागरूकता सम्मेलन को सम्बांधित करेंगे।

(ग) तत्पश्चात् दिनांक 05.12.2019 को को सिवान जिला के भगवानपुर प्रखण्ड के ग्राम राजपुर टोला पाण्डे पंचायत मुहम्मदपुर में योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन तथा जल-जीवन-हरियाली जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

(घ) दिनांक 06.12.2019 को माननीय मुख्यमंत्री गोपालगंज जिला अन्तर्गत बरौली प्रखण्ड के देवापुर पंचायत में अपराह्न 12:30 बजे योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन तथा जल-जीवन-हरियाली जागरूकता सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे।

उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों में जीविका दीदियों की सहभागिता अपेक्षित बतायी गयी है। इस संदर्भ में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति की राज्य इकाई द्वारा निम्न निदेश दिये जाते है :-

1) उपर्युक्त चारों जिलों के मेण्टर सहित आन्तरिक सम्पोषण दल (IST) के कम-से-कम दो सदस्य कार्यक्रम की निर्धारित तिथि के एक-दो रोज पूर्व कार्यक्रम स्थल पर जाकर जागरूकता कार्यक्रम में जीविका दीदियों की भागीदारी तथा इससे सम्बंधित अन्य बिन्दुओं की समीक्षा जिला परियोजना समन्वयन इकाई तथा सम्बंधित प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई के सदस्यों के साथ मिलकर कर लेंगे तथा सफल क्रियान्वयन में स्थानीय टीम को अपना सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

2.12.2019

2) जीविका दीदियों के आने-जाने के संदर्भ में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित् की जाएगी ताकि उन्हें आने-जाने में कोई कठिनाई नहीं हो। उनके आवागमन हेतु जिला प्रशासन से समन्वय कर समुचित वाहन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने तथा वापस जाने में किसी तरह की असुविधा नहीं हो। उनके परिवहन के लिए जिन वाहनों का उपयोग हो वे सुविधाजनक हों तथा उनपर कोई ओवरलोडिंग न हो।

3) दीदियों के परिवहन के अतिरिक्त उन्हें आवश्यकतानूरूप नाश्ता, भोजन तथा अपेक्षित चिकित्सीय सुविधा (Medical Kit) इत्यादि भी उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक वाहन में परियोजना की जिला/प्रखण्ड इकाई का कोई सदस्य उनकी उचित देख-रेख के लिए अवश्य प्रतिनियुक्त किया जाएगा जिसका दायित्व दीदियों को ससमय कार्यक्रम स्थल तक ले जाने एवं वहाँ से वापस घर तक सुरक्षित पहुँचाने का होगा। आवश्यकतानुसार जीविका की इकाई द्वारा भी वाहन भाड़े पर लिए जा सकेंगे। इन सभी मदों में व्यय की अधिकतम सीमा 200 रुपये निर्धारित की जाती है और इस सीमा के अन्तर्गत होनेवाले वास्तविक व्यय ही अनुमान्य होगा।

4) इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आवश्यकतानुसार जीविका के अधिप्राप्ति मानकों का अनुसरण किया जाय।

5) यह अपेक्षा की जाती है कि मेण्टर/आन्तरिक सहयोग दल के सदस्य/जिला परियोजना समन्वयन इकाई तथा प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई के सभी सदस्य इस कार्यक्रम के सुरक्षित क्रियान्वयन की दिशा में निष्ठापूर्वक अपनी भागीदारी निभाएँगे।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार,

2.12.2019

(ब्रजकिशोर पाठक)
विशेष कार्य पदाधिकारी

प्रतिलिपि:- सभी सम्बंधित मेण्टर/ आई०एस०टी० के सभी सदस्य/ सम्बंधित जिला परियोजना प्रबंधक/प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।